राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़

चतुर्थ तल,छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल व्यावसायिक परिसर, (दक्षिण पूर्व कॉर्नर)
सेक्टर–27, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन–492015 (छत्तीसगढ)
दूरभाष–0771–2511287, 2511285, ई–मेलः office.mdnrhm@gmail.com

विज्ञापन क्रमांक/NHM/HR/2022/NS-1636/3692 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 24/02/22

//विज्ञापन//

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ अंतर्गत प्रदेश के शहरी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओ (UHWC) में पन्द्रहवें वित्त आयोग की Health Grants के अधीन चिकित्सा अधिकारी (संविदा) के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु एम.बी.बी.एस. की उपाधि अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि धारक (समकक्ष उपाधि में केवल ऐलोपैथी पद्धति की उपाधि ही मान्य होगी।) अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट **www.cghealth.nic.in** के माध्यम से **दिनांक 25.02.2022 से 05.03.2022 सायं 05:00 बजे** तक आमंत्रित किये जाते हैं। उपरोक्त पद पन्द्रहवें वित्त आयोग की Health Grants के अधीन होगा।

भर्ती हेतु आरक्षण रोस्टर अनुसार रिक्त पदों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :–

पद का नाम	कुल रिक्तियों की संख्या					कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिये आरक्षित पद					कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से निःशक्तजन (OA, OL) के लिये वर्गवार आरक्षित पद				
	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	योग	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	योग	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
चिकित्सा अधिकारी (संविदा)	76	22	58	26	**182**	22	6	17	7	**52**	5	2	4	2	**13**
Abbreviation Used-- OA-One Arm, OL-One Leg.															

01. चिकित्सा अधिकारी पद हेतु शैक्षणिक अर्हताएं एवं वेतनमानः–

1.1 एम.बी.बी.एस. की उपाधि अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि धारक (समकक्ष उपाधि में केवल ऐलोपैथी पद्धति की उपाधि ही मान्य होगी।)

1.2 सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारियों को चयन में प्रथम प्राथमिकता दी जोवगी।

1.3 तत्पश्चात् SDRF/किसी भी शासकीय स्वास्थ्य संस्था में पूर्व में कार्य का अनुभव रखने वाले चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जावेगी।

1.4 **संविदा मानदेयः**–चयनित अभ्यर्थी को संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मासिक मानदेय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा निर्धारित Differential Salary Package (Max. 84,350/- to Min. 58,100/-) अनुसार प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगी।

1.5 छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) होना अनिवार्य है। अन्य राज्यों के मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत आवेदको को छत्तीसगढ़ राज्य में सेवायें देने की स्थिति में नियुक्ति पश्चात् 45 दिवस के भीतर छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) कराना अनिवार्य होगा।

1.6 **ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं के प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होंगे।** अभ्यर्थी द्वारा उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं का ''प्रमाण–पत्र'' ऑनलाईन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व अर्जित किया जाना चाहिए।

02. आवेदन पत्र के संबंध में दिशा–निर्देश

2.1 आवेदक विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in में विज्ञापन का प्रारूप देख सकते है।

2.2 दिनांक 25.02.2022 से 05.03.2022 सायं 5:00 बजे तक विभागीय वेबसाईट **www.cghealth.nic.in** के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

2.3 **विज्ञापन तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जायेगा। अर्हता को सिद्ध करने वाले समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन में संलग्न करना अवश्य सुनिश्चित करें अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।**

2.4 **अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन करते समय निम्नांकित दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य होगा–**

- 10वीं अंकसूची / जन्म प्रमाण पत्र।
- एम.बी.बी.एस. की सभी वर्षों की अंकसूची।
- एम.बी.बी.एस. की डिग्री (स्थायी / अस्थायी) की प्रति।
- छत्तीसगढ़ / अन्य राज्य के मेडिकल कांउसिल में जीवित पजीयंन (स्थायी / अस्थायी) की प्रति।
- मेडिकल काउंसिलि ऑफ इंडिया में जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र। (यदि लागू हो तो)
- छत्तीसगढ़ के निवासियों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण–पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो तो)।
- अनुभव प्रमाण–पत्र।
- अनापत्ति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो तो)।
- सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारियों हेतु सेवानिवृत्त प्रमाण–पत्र।

03. आयु सीमा :–

3.1 01 जनवरी, 2022 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष होना चाहिए। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2022 को आधार मानकर की जायेगी।

04. आवेदन शुल्क :–

संवर्ग	आवेदन शुल्क राशि रू.
विकलांग / अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला	325 / –
अन्य पिछड़ा वर्ग	650 / –
अनारक्षित वर्ग	650 / –

4.1 आवेदन हेतु शुल्क ऑनलाइन के माध्यम से ही देय होगा। पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करने पर ही आवेदन मान्य होगा। अपूर्ण (Incomplete) / अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी, ऐसे आवेदन पत्र तत्काल अमान्य कर दिये जावेंगे।

4.2 अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। अतः अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

4.3 आवेदन शुल्क का भुगतान न होने की स्थिति में आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

4.4 **आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए ऑनलाईन आवेदन पोर्टल में दिये गये Fee Payment link में Click करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें। भुगतान करने के पश्चात् किये गये भुगतान का विवरण Applicaion Fee Section में भरकर Final Submit of Application पर Click करें। ऑनलाईन आवेदन से संबंधित विस्तृत विवरण ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध है।**

05. **भर्ती प्रक्रिया :–**

5.1 प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों की स्क्रुटनी उपरांत दावा–आपत्ति हेतु पात्र–अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, सूचना एवं अन्य निर्देशों का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in में पृथक से किया जायेगा। **समयानुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी। अन्य किसी भी माध्यम से पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी।**

5.2 **दावा आपत्ति की प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी प्रकार के अतिरिक्त दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।**

5.3 छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नही दिया जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में रखा जायेगा।

5.4 कुल विज्ञापित पदों की संख्या के 03 गुना अभ्यर्थियों की संवर्गवार, आरक्षणवार मेरिट सूची जारी की जावेगी।

5.5 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव अंक के मेरिट के आधार पर किया जावेगा।

5.6 चयन के पश्चात् निम्न दस्तावेजों की मूल प्रति एवं एक स्वप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है :–

- 10वीं अंकसूची / जन्म प्रमाण पत्र।
- एम.बी.बी.एस. की सभी वर्षों की अंकसूची।
- इंटर्नशीप की प्रति।
- एम.बी.बी.एस. की डिग्री (स्थायी / अस्थायी) की प्रति।
- स्नातकोत्तर / पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा प्रमाण–पत्र की प्रति।
- छत्तीसगढ / अन्य राज्य के मेडिकल कांउसिल में जीवित पजीयंन (स्थायी / अस्थायी) की प्रति।
- मेडिकल काउंसिलि ऑफ इंडिया में जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र। (यदि लागू हो तो)
- छत्तीसगढ़ के निवासियों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण–पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो तो)।
- पहचान पत्र। (आधार कार्ड / वोटर आई.डी. / पेन कार्ड / ड्राईविंग लाईसेंस आदि जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पता, फोटो हो)
- अनुभव प्रमाण–पत्र।
- अनापत्ति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो तो)।
- सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारियों हेतु सेवानिवृत्त प्रमाण–पत्र।
- अन्य संबंधित दस्तावेज (यदि लागू हो तो)।

5.7 **चयन प्रकियाः–**

5.7.1 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षो के प्राप्तांको के प्रतिशत का–85 प्रतिशत।

5.7.2 अनुभव 10 / 15 अंक संबंधित पदों से संबंधित के ही मान्य किये जावेंगे। (एन.एच.एम. छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियो को (प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक) अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियो को (प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक) अधिकतम 10 अंक)

5.7.3 अनुभव प्रमाणपत्र (आवेदित पद से संबंधित हो) केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे।

5.7.4 अंतिम चयन सूची में एम.बी.बी.एस. की उपाधि अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि धारक (समकक्ष उपाधि में केवल ऐलोपैथी पद्धति की उपाधि ही मान्य होगी।) सेवानिवृत चिकित्सा अधिकारियों को प्रथम प्राथमिकता दिया जावेगा। तत्पश्चात् SDRF / किसी भी शासकीय स्वास्थ्य संस्था में पूर्व में कार्य का अनुभव रखने वाले चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जावेगी।

5.7.5 चयन सूची में छत्तीसगढ़ के अभ्यार्थियों के पश्चात् ही अन्य राज्यों के अभ्यार्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी। छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में आरक्षण का लाभ नही दिया जावेगा।

06. आरक्षण :–

6.1 उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (कमांक 591/2012, रिट पिटीशन (सी) कमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) कमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) कमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/ निर्णय के अध्याधीन रहेंगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन होगा।

6.2 सेवा में भर्ती के समय "छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994" के प्रावधान तथा छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों (जैसे–महिला/दिव्यांग/अन्य) के आरक्षण हेतु समय–समय पर जारी आरक्षण संबंधी निर्देश/आदेश/नियम (यथा संशोधित) लागू होंगें।

6.3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी ही निःशक्तजन के आरक्षण हेतु मान्य होंगें। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी को अनारक्षित श्रेणी का माना जायेगा। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उम्मीद्वार को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी मूल जाति प्रमाण पत्र काउंसिलिंग/सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन राज्य की उच्च स्तरीय छानबीन समिति से कराया जा सकता है।

6.4 आरक्षित वर्ग के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम वाला जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

6.5 महिला अभ्यार्थियों/निःशक्त व्यक्तियों के लिए पद, शासन द्वारा समय–समय पर बनाए गए अधिनियम/नियम/जारी आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखे जायेंगें।

6.6 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (टीप :–स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक पात्र होंगे)

6.7 विशेष आरक्षण अर्हता रखने वाले (विकलांग/महिला आरक्षण नियमानुसार होगी) अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उससे संबंधित दस्तावेज संलग्न किये जाने होंगे अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में प्रमाण पत्र संलग्न न होने की स्थिति में अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जावेगा।

07. प्रतीक्षा सूची :–

उक्त पद के लिये प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नवीन भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने तक जो पहले हो तक रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नए पद/त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदो को भी इसी प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा। प्रतीक्षा सूची हेतु कुल स्वीकृत पद के 50 से अधिक पदो हेतु 100 प्रतिशत अभ्यार्थियों को प्रतीक्षा सूची मे रखा जायेगा, ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरे जा सकें।

08. भर्ती के संबंध में अन्य शर्तें :–

8.1 मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। चयन के पश्चात् भी किसी भी समय किसी पत्र/प्रमाण पत्र या अन्य त्रुटि दोनो पक्षों से (किसी भी पक्ष की ओर से) पाये जाने की अवस्था में नियमानुसार सेवा से पृथक किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

8.2 पदों के साथ वर्णित वेतन सांकेतिक है। राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्णय से पदों के मानदेय में परिवर्तन संभावित है।

8.3 संविदा पर नियुक्त अधिकारी का प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन किया जावेगा। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में संविदा सेवा अवधि की वृद्धि आगामी वर्ष हेतु की जा सकती है। नियमित भर्ती किये जाने पर संविदा पद स्वतः निरस्त हो जायेंगे।

8.4 चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् मानव संसाधन नीति के नियमानुसार एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा कर त्याग पत्र दिया जा सकता है।

8.5 उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

8.6 आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्त रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया/मापदण्डों पर निर्भर करेगी।

8.7 चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार का दबाव डाला/डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।

8.8 ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गयी है, चाहे वे किसी भी पद पर रहे हो, उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जायेगा।

8.9 भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ को होगा जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।

8.10 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुभव अंक हेतु नियोक्ता द्वारा जारी हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जावेगा।

शहरी स्वास्थ्य संस्थावार (UHWC) रिक्तियों का विवरण

क्र.	जिले का नाम	स्वीकृत UHWC	रिक्त पद संख्या
1	बलौदाबाजार–भाटापारा	3	3
2	बस्तर	4	4
3	बिलासपुर	14	14
4	धमतरी	6	6
5	दुर्ग	27	27
6	जंजगीर–चाँपा	1	1
7	कांकेर	2	2
8	कबीरधाम	4	4
9	कोरबा	19	19
10	कोरिया	3	3
11	महासमुंद	4	4
12	मुंगेली	2	2
13	रायगढ़	6	6
14	रायपुर	76	76
15	राजनांदगाँव	3	3
16	सरगुजा	8	8
योग–			**182**

भर्ती की कार्यवाही हेतु निर्धारित समय–सारणी

क्र.	कार्यवाही का विवरण	कार्यवाही दिनांक
1	विज्ञापन जारी कर कर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित करना।	25.02.2022–05.03.2022
2	पात्र–अपात्र सूची जारी करना	08.03.2022
3	दावा–आपत्ति प्राप्त करना	11.03.2022
4	दावा आपत्ति का निराकरण कर अंतिम सूची का प्रकाशन	14.03.2022
5	नियुक्ति आदेश जारी करना।	15.03.2022

नोटः– चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने के तीन दिवस के भीतर संबंधित पदस्थापना स्थल में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

09. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :–

9.1 भर्ती से संबंधी समस्त जानकारी समय–समय पर केवल विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in में उपलब्ध करायी जावेगी। समयानुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी। पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जावेगी।

9.2 आवश्यकतानुसार दस्तावेज परीक्षण राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर या जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में आयोजित किया जावेगा, जिसमें सम्मिलित होने के लिये अभ्यर्थियों को कोई व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा।

(मिशन संचालक द्वारा अनुमोदित)

24/02/2022

संयुक्त संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
छत्तीसगढ़